

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 16.07.2026

संख्या-1 / पी0-1001 / 2026-सा.प्र.-12854 / श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2004), सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

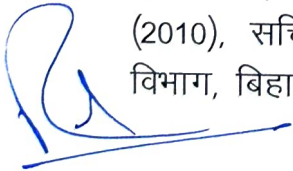
संख्या-1 / पी0-1001 / 2026-सा.प्र.-12855 / श्री दिवेश सेहरा, भा.प्र.से.(2005), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सेहरा अगले आदेश तक जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1 / पी0-1001 / 2026-सा.प्र.-12856 / श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से.(2007), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1 / पी0-1001 / 2026-सा.प्र.-12857 / श्री राजीव रौशन, भा.प्र.से.(2010), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (बांकीपुर विधान सभा क्षेत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सचिव, शिक्षा विभाग एवं सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त) अगले आदेश तक सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1 / पी0-1001 / 2026-सा.प्र.-12858 / श्रीमती रचना पाटिल, भा.प्र.से. (2010), सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।



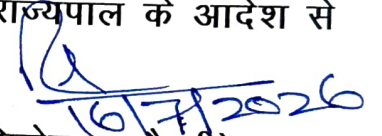
संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12859/श्रीमती इनायत खान, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12860/श्री धर्मेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.(2013), अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना अगले आदेश तक विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12861/श्री मनेश कुमार मीणा, भा.प्र.से. (2015), निदेशक, खान, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12862/सुश्री श्वेता भारती, भा.प्र.से.(2022), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

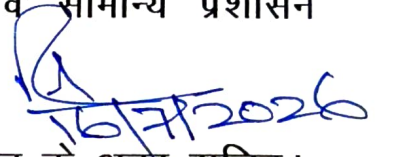
ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-12862/पटना-15, दिनांक: 16.07.2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित

विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आईटी0 मैननेजरसामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सीडी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06, 12 एवं 14 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. स्थानान्तरण/पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार की इस अधिसूचना से आच्छादित पदों को वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण करने वाले पदाधिकारी उक्त धारित पद/पदों से मुक्त हो जाएंगे।

3. उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन से प्रभावित वैसे भा.प्र.से. पदाधिकारी जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे।


सरकार के अवर सचिव।